

بَارِكْ اللَّهُ لَكَ بِبَارِكٍ عَلَيْكَ
وَجَمْعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

निकाह

अल्लाह की निशानी
और अम्बिया ए किराम
की सुन्नत



नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करता वह हम में से नहीं।" [सुन्न इब्ने माजा:1846]

By: अहमद बज़्मी

Al-Hidaya Matrimony: निकाह को आसान बनाने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन, verified रिश्ते, महफूज़ मैचमेकिंग, लड़कियों की प्रोफाइल ख्वातीन संभालेंगी। सुन्नत तरीके से निकाह में इंटरैस्टेड, **8474986686** पर Whatsapp करें।

विषय वस्तु

1	निकाह	5
2	निकाह का मक़सद	7
3	निकाह की अहमियत और फ़ायदे	8
4	निकाह के लिए सही उम्र क्या है?	9
5	किस किस से निकाह नहीं कर सकते हैं?	10
6	एक वक्त में कितने निकाह कर सकते हैं?	11
7	निकाह के लिए लड़का और लड़की का इंतेखाब कैसे करें?	12
7.1	लड़के के इंतेखाब में इस्लाम का मयार	12
7.2	लड़की की रजामंदी की हैसियत	13
7.3	लड़की की रज़ा कैसे पता चलेगी?	13
7.4	लड़की के इंतेखाब में इस्लाम का मयार	13
8	हमारी गुजारिश	14
8.1	वालीदेन से गुजारिश	14
8.2	लड़कियों से गुजारिश	15
8.3	लड़को से गुजारिश	16
9	लड़की के निकाह में वली की हैसियत	16
10	महर	17
10.1	महर की रकम	17
10.2	महर कब अदा करें	18
10.3	महर की अदायगी की सूरत	19
11	निकाह में गवाह कौन और कैसा हो?	19
12	निकाह का खुल्बा	19
13	खुल्बे का पैग़ाम	20
14	रूखसती	21
15	दावत ऐ वलीमा की सुन्नत	22
16	शादी के नाम पे फ़िज़ूल खर्ची	23
17	निकाह में ताखीर के असबाब	24

18	निकाह में ताखीर के नुक्सानात	25
19	साइंस के मुताबिक माँ बनने की उम्र	26
20	ये तहरीर लिखने का हमारा मक़सद	27



निकाह: अल्लाह की निशानी और अम्बिया ए किराम की सुन्नत

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया एक मक़सद के तहत और महदूद वक्त (कयामत) तक के लिए खल्क किया और इस दुनिया में इंसानों को खलीफा बना कर भेजा।

"और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ तो उन्होंने ने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद और खून बहाए? हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते।" [कुरआन 2:30]

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों पे हमें (इंसानों) फौकियत दी और इस दुनिया में हमें सिर्फ़ खलीफा बना कर ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत निजामें ज़िंदगी के साथ भेजा। कुंबे और कबीले के तौर पर हमें अलग पहचान दिया।

"ऐ लोगों! तुम सब को एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और इस लिए कि तुम आपस में एक मर्द दूसरे को पहचानो कुंबे और कबीले बना दिए हैं।" [कुरआन 49:13]

इस दुनिया को महदूद वक्त तक, चलाने के लिए इंसानी नस्ल का परवान चढ़ाना ज़रूरी है और इंसानी नस्ल को बढ़ाने के लिए एक मर्द और औरत का किसी रिश्ते में जोड़ना ज़रूरी था।

"और हमनें तुम्हें जोड़े (मर्द और औरत की शक्ल) में पैदा किया।" [कुरआन 78:8]

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को जोड़े में और जोड़े से पैदा किया।

ऐ लोगों! "अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया इसी से इसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए, इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है।" [कुरआन 4:1]

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में सिर्फ़ रिश्तों की ही नहीं बल्कि उसकी अहमियत को भी बताया यानि रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारा निगाहबान है ही और वो तो हमारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे खास तौर पे कहा तो इससे पता चलता है ये रिश्ता कितना अहम है।

नई जिंदगियों की आमद और रिश्तों की शुरुआत निकाह से होती है तो निकाह को समझे हैं:-

1. निकाह

"और हर चीज़ को हमनें जोड़ा जोड़ा पैदा किया है, ताकि तुम नसीहत हासिल करो।" [कुरआन 51:49]

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के जोड़े (मर्द और औरत) को जिस के ज़रिए एक किया वो निकाह है।

निकाह का लगवी माना (meaning) **मिलना और मिलाने** से है।

अहले अरब कहते हैं: जैसे बारिश का पानी जमीन में मिल जाता है, नींद आंखों से मिल जाती है। इसी तरह निकाह एक अनजान इंसान को दूसरे अनजान इंसान से जोड़ कर एक रिश्ते (शौहर और बीवी) में बांध देती है।

अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है:

"तुम में से जो मर्द और औरत बेनिकाह के हों इनका निकाह कर दो और अपने नेक बख्त गुलाम और लौंडियों का भी अगर वो मुफलिस भी होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें अपने फजल से गनी (माल दार) बना देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत कुशदगी वाला और इल्म वाला है।" [कुरआन 24:32]

निकाह करना हुक्मे इलाही है और अगर हुक्म है तो इसे अदा करना इन्सानों का फ़र्ज़ है।

"हम आप (ﷺ) से पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं और हमने इन सब को बीवी बच्चों वाला बनाया था किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई निशानी बाग़ैर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाज़त के ले आए हर मुकर्रह वादे की एक लिखत है।" [कुरआन 13:38]

इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत काफ़िरों के जवाब में नबी करीम ﷺ को मुखातिब करके कह रहे हैं, आप (ﷺ) से पहले बाक़ी रसूल की भी बीवियां थीं और ये सब मेरी इजाज़त से।

यानि निकाह अल्लाह की निशानी और तमाम अम्बिया ए किराम की सुन्नत है।

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करता वह हम में से नहीं।" [सुन्न इब्ने माजा:1846]

निकाह नबी करीम ﷺ की सुन्नत है और नबी करीम ﷺ सुन्नत की अहमियत का अंदाजा इस आयत से लगाए:

अल्लाह फरमाता है:-

"ऐ नबी! लोगों से कह दो कि "अगर तुम हक़ीक़त में अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारी ग़लतियों को माफ़ कर देगा। वो बड़ा माफ़ करनेवाला और रहम करनेवाला है।" [क़ुरआन 3:31]

2. निकाह का मक़सद

हमने अपनी बात का आगाज़ मक़सद से ही किया है इंसानी जोड़े को एक करने मक़सद यही है कि इंसानी नस्ल को रहती दुनिया तक कायम रखना। और इंसानों को उनकी नफ़सीयती ख़्वाहिशात के ग़लबे से महफूज़ रखना।

एक आदमी नबी करीम ﷺ के पास आया और कहने लगा: एक दर्जा और हुस्न वाली पाई है, लेकिन वो औलाद नहीं पैदा कर सकती, क्या मैं उससे निकाह कर लूं? नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया नहीं, उसने नबी करीम ﷺ से तीन बार पुछा तीसरी बार में नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"उन औरतों से निकाह करो जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हों।" [सुन्न अबु दाऊद:2050]

इस हदीस में पोशीदा मक़सद की वजाहत करती दूसरी हदीस:

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"मैं तमाम अम्बिया ए किराम पे अपनी उम्मत की कसरत (number) पे फ़ख़ करूंगा।" [Al Mo'jam Al Awsat Hadith no. 5099]

निकाह निगाहों को नीचा रखती है। जिससे इंसान ख़ुद पाकदामन रख सकता है।

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ नौजवानों की जमात! अगर तुम्हारे पास इस्तेताअत है तो निकाह कर लो ये निगाहों को नीचा रखने में तुम्हारी मदद करती है।" [सहीह बुखारी:1905]

इस्लाम ने औरत को मोहसिना बताया है।

3. निकाह की अहमियत और फ़ायदे

निकाह एक बा बरकत अमल है और निकाह इबादत है। आईए इसकी और अहमियत और फ़ायदे को जान लेते हैं:

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"जिसने निकाह किया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल किया।" [सुन्न तिर्मिज: 2521]

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के ज़रिए दो अनजान लोगों में सुकून, मोहब्बत और हमदर्दी क़ायम कर रखा फिर उससे इंसानी नस्ल को परवान चढ़ाया फिर एक इंसान को दूसरे इंसानों से किसी ना किसी रिश्ते से जोड़ दिया।

अल्लाह फरमाता है:

"और इसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जींस से बीवियां पैदा किय ताकि तुम इनसे आराम पाओ इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी क़ायम कर दी यक्कीनन गौर करने वालों के लिए इस में बहुत सी निशानियाँ हैं।" [कुरआन 30:21]

दुनिया में हर रिश्ते की शुरुआत निकाह से हुई और हर रिश्ते को एक अलग मुकाम भी हासिल है।

निकाह नस्ब को क़ायम रखती है। अगर कोई बिना निकाह के औलाद पैदा करे तो क्या कोई रिश्ते की कोई पहचान होगी? आज हम मगरिबी ममालिक (western countries) को देख लें वहां बच्चों को रिश्तेदारों की पहचान, तो दूर उन्हें अपने बाप का पता नहीं होता। और ऐसे बच्चे ही जुर्म को अंजाम देते हैं।

आज हमारे समाज को आज्ञादी के नाम पर ऐसा ही बनाने की कोशिश की जा रही है। समझने के लिए बस इतना ही कहेंगे:

यही दर्स देता है हर शाम का सूरज,

मगरिब की तरफ़ जाओगे तो डूब जाओगे।

औलाद निकाह के मक़सद से हासिल होती है और नेक औलाद एक सदका जारिया है,

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"इंसान के मर जाने के बाद उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है सिवाए तीन वजहों के, जिसमें से एक नेक औलाद अगर उसके लिए दुआ करे।" [सहीह मुस्लिम: 4223]

4. निकाह के लिए सही उम्र क्या है?

निकाह के लिए कोई बकायदा उम्र तो नहीं बताया गया है लेकिन हां, कुरान की एक आयत से पता चलता है कि,

"यतीमो को आजमाओ जब तक वो निकाह को पहुंच जाएं।" [कुरआन 4:6]

इस आयत में **“बलागुन निक्काह”** (reach marriageable age) **“बलागु”** (puberty:- the age at which girls and boys attain reproductive maturity)

लड़के और लड़कियों में बलूग़त (Puberty) की कोई तयशुदा उम्र (fixed age) नहीं है ये environmental and geographical conditions etc. पे निर्भर करता है।

NCERT के अनुसार लड़कियों में puberty 10 to 14 years और लड़को में 13 to 16 years होती है। अब कुछ लोगों को ऐतराज़ होगा इतनी कम उम्र में निकाह कर दिया जाए?

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"कोई नुकसान ना पहुंचाओ और ना नुकसान लो।" [सुन्न इब्ने माजा: 2341]

अहले इल्म इस हदीस के हवाले से कहते हैं:

कोई लड़की का निकाह बालिग होने के अलावा साथ इन बातों पर भी निर्भर करता है कि **"she should be able for sexual intercourse and mentally stable"**.

और अगर onset of puberty आने पर, characters पे गौर करेंगे तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि लड़की और लड़को का रुजूहान (inclination) opposite gender में होता है क्योंकि उनका physiological behaviour में बदलाव आता है जैसे: sex/reproductive hormones (testosterone in male & estrogen and progesterone in female) का secretion होने लगता हैं। यकीकन ये सब को पता होगा लेकिन हमारा बताने का मक़सद ये है कि अगर वो अपनी नफसियाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोई गुनाह में मुबतला हो जाएंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसी लिए "लड़को और लड़कियों का निकाह उनकी सही उम्र में कर देना चाहिए" जिससे बहुत सी बुराईयां और बीमारियां होने से अपने समाज को बचाया जा सकता है।

5. किस किस से निकाह नहीं कर सकते हैं?

"और इन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बापो ने निकाह किया हो मगर जो गुज़र चुके हैं, ये बे हयाई का काम और बुगज़ का सबब है और बड़ी बुरी राह है।" [कुरआन 4:22]

इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सौतेली मां के हवाले से बात किया है क्योंकि दौरे जहीलियत में अहले अरब अपनी सौतेली बेवा मांओ से निकाह कर लिया करते थे।

"हराम की गई हैं तुम पर तुम्हारी मांये और तुम्हारी लडकियां और तुम्हारी बहने तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और भाई की लडकियां और तुम्हारी वो मांये जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शारीक बहनें और तुम्हारी सास और तुम्हारी वो परवरिशकरदा लडकियां जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारी इन औरतों से जिनसे तुम दाखुल कर चुके हो, हां अगर तुमने इनसे जिमा (sexual intercourse) ना किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं और तुम्हारी सलबी सगे बेटों की बीवियां और तुम्हारा दो बहनों का जमा करना हां जो गुज़र चुका सो गुज़र चुका यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख़्शने वाला मेहरबान है।" [कुरआन 4:23]

परवरिशकरदा से मुराद बीवियों की बेटियां, वो बेटा ही होगी हां अगर बीवी के साथ जिमा (sex intercourse) नहीं किया है तो फिर वो लड़कियां भी जायज़ हैं।

दो बहने एक वक्त में बीवियां नहीं बन सकती हैं। इस आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौरे जहीलियत को मुखातिब किया है कि जो गुज़र गया सो गुज़र गया

इन सब के अलावा सारी औरतों से निकाह जायज़ है।

6. एक वक्त में कितने निकाह कर सकते हैं?

एक वक्त औरत सिर्फ़ एक ही निकाह कर सकती है लेकिन मर्द के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान:

"अगर तुम्हें डर हो कि तुम यातीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ़ नहीं कर सकोगे तो और औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगें तुम इनसे निकाह कर लो दो दो, तीन तीन, चार चार से लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है या तुम्हारी मिल्कियत की ये ज़्यादा करीब है, कि (ऐसा करने से ना इंसाफी और) एक तरफ़ झुकने से बच जाओ।" [क़ुरआन 4:3]

इस आयत का खुलासा इस हदीस से होता है।

एक शख्स ने इस्लाम कुबूल किया, इसकी आठ बीवियां थीं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: इन में से सिर्फ़ चार रखना।

चार तक की इजाज़त है लेकिन इंसाफ़ करने की पाबंदी के साथ और अगर कोई इंसाफ़ नहीं कर सकता तो वो सिर्फ़ एक से ही निकाह करे क्योंकि अखिरत में बहुत सख्त पकड़ है।

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"जिस शख्स की दो बीवियां हों और वो इनके दरमियान अदल और इंसाफ़ ना करे तो कयामत के दिन इस हाल में उठेगा कि इसका जिस्म का एक धड़ अलग हो गया।" [तिर्मिजी:1141]

7. निकाह के लिए लड़का और लड़की का इंतेखाब कैसे करें?

निकाह और तलाक़ ये इंसानों के अपने फैसले हैं, जो बदले भी जा सकते हैं। नबी करीम ﷺ से सहाबियात और सहाबा निकाह के लिए मशवरा लेने आते और नबी करीम ﷺ उन्हें मशवरा देते थे, नबी करीम ﷺ ने हमसफ़र के इंतेखाब का एक मयार बताया और उसी मयार के मुताबिक़ निकाह के लिए हमसफ़र का इंतेखाब करना चाहिए। तो आइये देखते क्या है वो मयार:

7.1. लड़के के इंतेखाब में इस्लाम का मयार

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"जब तुम्हें कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम दे, जिसकी दीनदारी और अख़्लाक से तुम्हें इत्मीनान हो तो, इससे निकाह कर दो अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और फ़साद बरपा होगा।" [जामे तिर्मिज़ी:1084]

इस हदीस में पोशीदा हिम्मत को समझें, जब नौजवान मर्द और औरत बिना निकाह के रहते हैं तो बुराई फैलने के अंदेशे ज़्यादा होते हैं। हो सकता है जिस लड़की के लिए रिश्ता आया हो वो भी यही चाहती हो लेकिन घर वालों की रज़ा में राज़ी हो गई हो। दूसरी बात ये भी है कि बीवियां अपने शौहरों की पाबंद होती हैं और अगर उनका शौहर दीनदार ना हुआ तो उन लड़कियों का पूरी तरह से ईमान पे क़ायम रख पाना मुश्किल होगा।

7.2. लड़की की रजामंदी की हैसियत

जब कोई अपनी बहन और बेटियों के लिए आए तो उनकी रज़ा के बगैर नहीं करें,

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"इनका (लड़की) इनकी इजाज़त के बगैर निकाह ना करो।" [सहीह बुखारी:5386]

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"जब कोई शख्स अपनी बेटी का निकाह करना चाहे तो उससे इजाज़त ले ले।" [मुसनद अबु याला: 7229]

7.3. लड़की की रज़ा कैसे पता चलेगी?

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"कुंवारी लड़की का निकाह उस वक्त तक ना किया जाए जब तक उसकी इजाज़त ना मिल जाय, लोगों ने कहा वो इजाज़त कैसे देगी? नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया उसकी ख़ामोशी उसकी रजामंदी है।" [सहीह बुखारी: 6970]

"खन्सा-बिन्ते-खिज़ाम अन्सारिया (रज़ि०) के वालिद ने उनका निकाह कर दिया था वो शौहरदीदा थीं, उन्हें ये निकाह मंज़ूर नहीं था इसलिये रसूलुल्लाह (सल्ल०) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं। नबी (सल्ल०) ने इस निकाह को रद्द कर दिया।" [सहीह बुखारी:5138]

7.4. लड़की के इंतेखाब में इस्लाम का मयार

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"औरत से चार चीजों की वजह से शादी की जाती है, यानि इसका माल और इसका खानदान, इसका हुस्न और इसका दीन, लिहाज़ तुम दीनदार औरत से निकाह करो वरना तुम खसारे में रहोगे।" [सहीह बुखारी:5090]

दीनी औरत से निकाह पे क्यों ज़ोर ज़ोर दिया गया है, क्योंकि एक औरत ही आने वाली नस्लों की तरबियत करती है शौहर बीवी का रिश्ता ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा कुरबत (closeness) होती है ज़ाहिर दोनों के तर्ज़े अमल का एक दूसरे पे असर होगा।

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"बेहतरीन माल ये है कि उसकी बीवी ऐसी मोमिना औरत हो जो उसके ईमान को पुख्तातर बनाने में मददगार हो।" [तिर्मिज़ी:3094]

नेक बीवी कामिल ईमान में मददगार साबित होती है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ी०) से रियायत है की नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"दुनिया एक मता 'अ (कुछ वक्त के लिए फायदा उठाने की चीज़) है और दुनिया की बेहतरीन मता'अ नेक औरत (बीवी) है।" [सहिह मुस्लिम:3649]

दुनिया आरज़ी ठिकाना है लेकिन उसमें नेक बीवी बेहतरीन समान है। लेकिन आज औरत इंतेखाब हुस्न और जमाल, आसरी और दौलत के बिना पे हो रहा है। तालीम को अहमियत दे लेकिन दीन को तरजीह दें।

8. हमारी गुजारिश

ये गुजारिश इंशा अल्लाह आपके ही हक़ में बेहतर साबित होगी और हमारी पहली गुजारिश:

8.1. वालीदैन से गुजारिश

अगर आप बेटी के मां बाप हैं तो बराए महरबानी अपनी बच्चियों को ये कभी ना कहा करें कि तुम पराई अमानत हो। अपनी बच्चियों को अपनी बेटी ही बना कर परवरिश

करें। उन्हें तमीज, तहज़ीब और तालीम इसलिए ना दे कि उसने किसी और घर जाना है या जॉब करना है बल्कि इस लिए उसे मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों की तरबियत करनी है। इस तरह लड़कियां निकाह की अहमियत और अपने वकार और अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएंगी।

और अगर आप बेटों के मां बाप हैं तो बराए महरबानी उसे तमीज, तहज़ीब और तालीम से इस लिए महरूम ना रखें कि इसने कहां जाना ये यहीं रहेगा और सिर्फ़ कमाने पे ही ना लगा दें। निकाह के रिश्ते को निबाहने और आने वाली नस्लों की तरबियत में मर्द का भी उतना किरदार होता है जितना की औरत का होता है। और इस रिश्ते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को तो मर्द का पाबंद बनाया है लेकिन मर्दों के लिए,

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो और मैं तुम में अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन हूं।" [सुन्न इब्ने माजा:1977]

8.3. लड़कियों से गुजारिश

अगर कोई भी इंसान नेक ही क्यों ना हो आपको खुद ही निकाह के लिए approach करे तो बराए महरबानी उसकी बातों पे यकीन करने के बजाए उससे बोलें कि वो आपके वली से बात करे। और अगर आपके लिए, आपके मुताबिक कोई पैगाम आए तो आप उस बारे सोचना ना शुरू हो जाय क्योंकि आगे क्या होना है ये किसे पता और आप लड़की हैं तो आपके लिए बहुत से पैगाम आएंगे और बहुत लोग तो कमियां भी तलाशगे किसी भी तरह की बातों को अपने आप से ना मंसूब किया करें।

निकाह के लिए **बा अख़्लाक** को ही तरजीह दें, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने से पहले आपके नज़रिए को समझने की भी कोशिश करेगा। और उसके मुताबिक उसका तर्ज़ अमल होगा।

और अगर आपने दौलतमंद को फौकियत दी तो जब तक उसके पास दौलत रहेगी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा लेकिन जब दौलत कमी आने लगेगी तो उसका तर्ज अमल एक दम से बदल जाएगा और उससे सबसे कौन मुतासिर होगा?

और खुद को इस्लाम के बताए मयार के मुताबिक बनाएं ताकि आपका निकाह जहेज़ के भरोसे पे ना हो। और सही वक्त पे हो जाय (इंशा अल्लाह)।

8.3. लड़को से गुजारिश

अगर आपको कोई लड़की इस्लाम के मयार के मुताबिक पसंद आए तो बराये महरबानी आप उससे निकाह के लिए उससे बात करने के बजाए उसके वली से बात करें।

दुसरा ये कि निकाह के लिए दीन को ही फौकियत दें ये हरगिज़ ना सोचें कि आप उसकी तरबियत करके दीन की जानिब मुतवज्जा कर सकते हैं। देखें! हिदायत देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है क्या अल्लाह कोई और ये जनता है कि कौन हिदायत पाएगा। आप सिर्फ अपने लिए बीवी ही नहीं बल्कि **आने वाली नस्लों के लिए एक दर्सगाह का इंतेखाब** कर रहे हैं। **नेक औलाद ही सदका** जारिया बनेगी।

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक बीवी अता की हो, गोया उसके आधे दीन की तकमील पे उसकी मदद की हो।" [सहीह अत तरगीब वत तरहीब: 1916]

9. लड़की के निकाह में वली की हैसियत

वली (male relatives) जैसे: **वालिद**, और अगर वालिद नहीं है तो **चाचा, ताया, दादा, मामू और आकिल और बालिग भाई** और ये रिश्ते नहीं तो कोई **जिम्मेदार मुसलमान** जैसे **काज़ी, खलिफा**।

नबी करीम ﷺ ने फरमाया:

"वली के बगैर निकाह नहीं" [जामे तिर्मिज़ी:1101]

नबी करीम ﷺ ने फरमाया:

"जिस औरत ने अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह किया तो इसका निकाह बातिल है, इसका निकाह बातिल है, इसका निकाह बातिल है।" [जामे तिर्मिज़ी:1102]

इसके पीछे की हिम्मत को समझें आप एक औरत हैं निकाह के बाद बच्चे होंगे उस इंसान की ज़िम्मेदारी बढ़ेगी तो वो आप लोगों से दस्तबरदरी के लिए किए हुए निकाह झूठा बता देगा। आप खुद सोचे जो आप घर अपने रिश्ते का पैग़ाम नहीं भेजा, आपको घर भागने पे आमादा कर दिया वो ज़िम्मेदारी निगायेगा। और आपने भी अल्लाह और उसके रसूल की ना फरमानी कर रही हैं। आप जितने उसके साथ रही, यानि गुनाह किया है।

10. महर

शौहर की तरफ से बीवी को दिया जाने वाला तोहफा जिसे अरबी जुबान में **“महर”** कहा जाता है। महर दोनों परिवारों के बीच तय किया जाता है। ये माल की सूरत में भी हो सकता है, या ज़ायज़ाद या किसी और चीज़, जिसे लड़की किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर सकती है इस पर उसके सिवा किसी का हक़ नहीं होता।

बाद में, अगर बीवी तलाक मांगती है, तो वह महर वापस कर देगी और खुला लेलेगी। पर जब मामूली वजूहात से तलाक हो जाता है, तो बीवी को आमतौर पर महर रखने की इजाज़त दे दी जाती है।

10.1. महर की रकम

महर औरत की क्रीमत नहीं बल्कि औरत का हक है। और महर की कोई रकम तय नहीं है।

"और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो और इन में से किसी को तुमने खज़ाना का खज़ाना दे रखा हो।" [कुरआन 4: 20]

इस आयत से पता से पता चलता कि खज़ाना भी दिया जा सकता है अगर किसी की हैसियत है तो।

एक सहाबी ने महर में अपनी बीवी को **कुरान की सूरह** याद कराया।

शायद कुछ लोगों को मामूली बात लगेगी लेकिन जो कुरान को समझते होंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन महर होगा क्योंकि कुरान का हर लफ़्ज़ में दुनिया और आखिरत दोनों ज़हानों की कामयाबी है।

जो भी हैसियत है उसके मुताबिक़ महर तय करें और निकाह को सादगी से ही करें वरना आपके महर की कोई एहमियत नहीं होगी। अब ज़ाहिर है लड़कियां अपने बाप के घर से सारी ज़िंदगी की जरूरियात का सामान ले आती हैं फिर आपके महर की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं रहती, दो या न दो। बेहतर है आप अपनी हैसियत को जाने और इस महर की अहमियत को भी।

10.2. महर कब अदा करें

बेहतर है महर की अदायगी जल्द से जल्द कर दें। अब और भी आसानी है तयशुदा रकम (amount) बैंक एकाउंट में डाल दे या फिर निकाह के बाद लड़की के घर वालों के हाथ भेज दें। बेहतर यही है के रूखसती से पहले दे दें, जो तरीका आपको बेहतर लगे।

और अगर उधार कर दिया जाये तो फिर क्या सूरत होगी?

आईए जानते हैं:

10.3. महर की अदायगी की सूरत

“और औरतों को इनके महर राज़ी खुशी दे दो, हां अगर वो खुद अपनी मर्जी से कुछ महर छोड़ दें तो इसे शौक से खुश हो कर खा लो।” [कुरआन 4: 4]

1. उधार हो सकता लेकिन ना देने का इरादा नहीं करना चाहिए वरना फिर वो औरत आपके लिए **जायज़** नहीं होगी।
2. अगर आपने महर नहीं दिया और आपकी बीवी की मौत हो गई तो फिर उसकी अदायगी उसके **करीबी रिश्तेदार** को दे कर करें।
3. अगर शौहर की मौत हो गई तो **शौहर की विरासत** से सबसे पहले उसकी बीवी को उसका हक़ महर अदा किया जायगा।

11. निकाह में गवाह कौन और कैसा हो?

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"बिना वली और दो गवाह के निकाह बातिल (valid) है।" [सहीह अल जामे: 7558]

गवाह होना ज़रूरी है और वो कोई भी हो सकता है, यानि हर **आकिल और बालिग मुसलमान** लेकिन शर्त ये है कि वो **सच्चा और आदिल** होना चाहिए।

12. निकाह का खुत्बा

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं हम इससे मदद तलब करते हैं इससे माफ़ी मांगते हैं और अपने नफ़्स की खराबियों और बुरे अमाल से की पनाह के तलबगार हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद ﷺ इसके बंदे और रसूल ﷺ हैं।"

ऐ लोगों! "अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। इसी से इसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए, इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है।" [कुरआन 4: 1]

"ऐ ईमान वालों! अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतना डरो जितना इससे डरना चाहिए और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। [कुरआन 3: 102]

"ऐ ईमान वालों! अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो और सीधी सीधी (सच्ची) बातें किया करो। ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा इसने बड़ी मुराद पाली।" [कुरआन 33: 70-71]

13. खुत्बे का पैगाम

इल्मिया ये है लोगों को पता ही नहीं होता है कि कुरान की कौन कौन सी आयात पढ़ी जा रही है और उसमें हमारा रब हमारे लिए क्या पैगाम दे रहा है?

तो आईए देखते क्या पैगाम है:

1. तीन आयतों में **डरने की बात** की गई, इंसान को अपने हर मामले में अल्लाह से डरते रहना चाहिए।
2. हर **बुराई की जड़ झूठ** होती है और झूठ तो मज़ाक में भी नहीं बोलना चाहिए। तो बात करते वक्त **सच ही बोले और रिश्तों को अल्लाह के खौफ के साथ**

निभाओ। क्योंकि ये रिश्ता दो अनजान लोगों को इतना करीब ले आता है जिसकी बरकत से दुनिया आबाद है।

3. अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मुतालबा कर रहा है देखो मरते दम तक **मुसलमान** ही रहना और हम मुसलमान तभी रहेंगे जब अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेंगे।

और हम क्या कर रहे हैं?

इसके ठीक उल्टा शादी के नाम पे अल्लाह और उसके रसूल की खूब ना फरमानिया करते हैं। अगर नहीं करते तो होते हुए तो देख रहें हैं। निकाह- ज़िना और फहश कामों को रोकती है लेकिन आज के मुस्लिम घरानों में शादी के नाम पे ही बेहयाई हो रही है। हम खामोश तमाशाई बने हैं।

ये ही है खौफ ऐ खुदा?

14. रुखसती

निकाह के कुछ सालों बाद भी रुखसती की जा सकती है। नबी करीम ﷺ ने आयशा (रज़ी०) को तीन साल बाद बहुत सादगी से रुखसत करवाया जबकि आयशा (रज़ी०) के वालिद (अबु बकर रज़ी०) बहुत मालदार थे। आज हमारे यहाँ निकाह और रुखसती दिनों का फासला सिर्फ़ दो तकरीबों में इज़ाफा (निकाह के बाद की गैरमज़हबी रस्मों) के लिए कर रहें हैं। अब ये कुछ दिनों रस्म बन जाएगी।

रुखसती के वक्त लड़की को कुरान के साए में घर से निकालते हैं ऐसा करने से क्या होगा?

एक मिसाल से देखें, अगर आपको भूख लगी हो तो क्या आपके सिर्फ़ खाना, खाना, खाना.... करने से भूख का एहसास खत्म हो जाएगा?

इसी तरह दुल्हन का कुरान के साए में चले जाने से या कुरान ख्वानी करवा लेने से हमारी हिफाज़त नहीं होती है बल्कि उसके लिए हमें कुरान पढ़ना और समझना और फिर उस पे अमल करना चाहिए। ये कुरान का भी हक़ है। इस तरह तो हम मुसलमान ही कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं।

15. दावत ऐ वलीमा की सुन्नत

वलीमा रूखसती के बाद की जाने वाली दावत है। ये कैसे होगी इसकी भी रहनुमाई की गई है;

"शादी (वलीमा) के तकरीब (ceremony) मून'किद (held) करो, चाहे सिर्फ एक भेड़ के साथ।" [सहीह मुस्लिम: 1427]

वालिमे में कितनी फुज़ूल खर्ची की जाती है जबकि एक बकरे से भी किया जा सकता है।

नबी करीम ﷺ ने फरमाया:

सबसे बुरे किस्म का खाना शादी (वलीमा) की दवात है जिसमें अमीरों को बुलाया जाता है और गरीबों को नज़र अंदाज़ किया जाता है। जो दावत में नहीं आता वो दरहकीकत अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की नाफरमानी करता है।" [सहीह मुस्लिम: 1432]

हम अपनी दावतों में गरीबों को ही नज़र अंदाज़ करते हैं और एक इंसान का दूसरे इंसान पे ये हक़ है कि जब वो उसे दावत दे तो उसकी दावत कुबूल करे।

16. शादी के नाम पे फ़िज़ूल खर्ची

फ़िज़ूल खर्ची, हक़तल्फी करने पे अमादाह करता है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िज़ूल खर्ची करने से मना किया और साथ ही हक़ अदा करने का हुक्म दिया।

"और रिश्ते दारो का और मुसाफ़िरो का हक़ अदा किया करते रहो और इसराफ़ और बेजा खर्च से बचो।" [क़ुरआन 17: 26]

बेजा खर्च करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान का भाई बताया।

"बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ना शुक्रा है।" [क़ुरआन 17: 27]

फ़िज़ूल खर्ची तो वैसे भी अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद और शादी के नाम पे ये शैतानो वाले काम कर रहे हैं जबकि हमें शैतान की मुखालिफ़त करनी है।

ईमान वालों! "इस्लाम में पुरे पुरे दाख़िल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है।" [[क़ुरआन 2: 208]

हमारा दुश्मन (शैतान) कब चाहेगा कि हम वो काम करे जिससे बहुत सी बुराइयों (जिना, ना जायज़ तलुकात, फ़िज़ूल खर्ची, फ़िज़ूल रस्मोआत, जहेज़ और निकाह में ताख़ीर वगैरा वगैरा) को लगाम लग जाय और फिर हमें अपने रब की अता की हुई नेमतों का हिसाब भी तो देना है।

"फिर इस दिन तुमसे ज़रूर बिल ज़रूर नेमतों का हिसाब होगा।" [क़ुरआन 102: 8]

अपने रब के सामने रुसवा होने से बहुत बेहतर है कि आप उसी तरह से निकाह करे जिसे बेहतर बताया गया है।

"बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाय।" [सुन्न अबु दाऊद 2117]

अगर हम शादी की जगह सिर्फ़ निकाह लफ़्ज़ का इस्तेमाल करे और इसे ही आम करे तो शायद इन फ़िज़ूल कामों और खुराफ़ात पे भी लगाम लगाया जा सकता है क्योंकि **शादी लफ़्ज़ इस्लाम में कहीं नहीं** इस्तेमाल हुआ है बल्कि ये फ़ारसी लफ़्ज़ है

जिसका माना खुशी होता है और इसके लफ्ज़ी माना को अमली जामा पहनाने में लोग इस्लाम की तमाम हुदूद भूल जाते हैं।

17. निकाह में ताखीर के असबाब

जो देखा समझा और महसूस किया वो यही है कि लड़की और लड़के के इंतेखाब का मयार वो नहीं जिनका ज़िक्र हमने इस्लाम की रोशनी में किया इसकी वजह यही है की लोगों ये पता ही नहीं,

निकाह क्या है?

इसका मक़सद क्या है?

और कब कर लेनी चाहिए?

अगर लोगों पता हो तो लोग निकाह के लिए वो मयार ही ना बनाएं जो आम तौर पे निकाह में ताखीर का सबब है, जैसे-

1- लड़का **well educated and settled** होना चाहिए। फिर चाहे उसमें दीन और इखलाक हो या ना हो।

2- लड़के भी चाहते हैं कि पहले वो well settled हो जाय फिर निकाह करेंगे। जबकि रिज्क का वादा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया ही है और जो भी आएगा अपने हिस्से की रोज़ी साथ ले कर। नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"दुनिया की तलब में ऐतदाल का तरीक़ा अपनाओ इसलिए कि जिस चीज़ के लिए आदमी पैदा किया गया है वो उसे मिल कर रहेगी।" [सुन्न इब्ने माजा: 2142]

3- लड़की खूबसूरत और खूबसूरती का मयार भी गोरा रंग होता है। कितनी educated है? और कितना जहेज़ ले के आएगी? (जहेज़ पे इंशा अल्लाह अलग से बात करेंगे)

नोट:- ये मयार सिर्फ़ निकाह में ताखीर का ही सबब नहीं बल्कि शादीशुदा जिन्दगी (married life) में भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये

शादीशुदा ज़िन्दगी में रोमानियत, अहसास और मोहब्बत को बेदार ही नहीं होने देगा बल्कि सिर्फ़ ज़रूरतों तक ही महद्वद रखता है।

4- जात बिरादरी भी एक बहुत बड़ी वजह बन गई है। अफसोस तो इस बात का है कि दीनदार लोग भी इस कैद से आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। (ये सिर्फ़ निकाह में ताखीर का ही सबब नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मत को और backward बनाती है।)

5- Well educated लड़कियों को 33-35 सालों तक निकाह का ख्याल ही नहीं आता, ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा, **शादी ज़िंदगी नहीं सिर्फ़ ज़िंदगी का हिस्सा है** यही तो हम कह रहे हैं जब ज़िंदगी का हिस्सा है तो ज़ाहिर उसका कोई ना कोई मक़सद भी है और हमने उसे भी समझा है तो अगर वक्त रहते निकाह नहीं किया तो बे मक़सद होगा।

वो कैसे देखते हैं?

18. निकाह में ताखीर के नुकसानात

1. सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि बुराई (जिना और फहश) को बढ़ावा मिलता है।
2. दूसरे ये कि अज़दावाजी ज़िंदगी की रूमानियत और अहसास खत्म हो जाता है।
3. सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नुकसान ये है कि निकाह के मक़सद को असर अंदाज़ होता है।

आईये देखते कैसे?

अल्लाह रब्बुल इज़ज़त औरत को जिस्मानी तौर पे, जिस फितरत पे क़ायम रखा है वो मां बनना। और हमने नबी करीम ﷺ की हदीस को देखा जिसमें नबी करीम ﷺ ने बताया कि किस तरह की औरत से निकाह करो?

"ऐसी औरत से निकाह करो जो बहुत मोहब्बत करने वाली और बहुत बच्चे जनने वाली हो। [अबू दाऊद: 2050]

19. साइंस के मुताबिक माँ बनने की उम्र

Female में reproductive cells (ova) बनने की शुरुआत fetus life (during embryonic development) में हो जाती है यानि मादा भ्रूण के विकास के समय ही प्रारम्भ (2 - 3 million primordial germ follicles में meiosis cell division शुरू हो के prophase first में meiosis arrest हो जाती है और ये जन्म के समय 60-80 हजार ही बचती और puberty के समय से हर माह एक एक follicles विकसित हो कर ovum बनाता है) में हो जाता है। और कोई औरत 33 या 35 साल के बाद baby plan करती है तो उसके होने वाले बच्चे में chromosomal disorders होने की संभावना रहती है क्योंकि जिस follicles से ovum बनने की प्रक्रिया fetus life से ही शुरू हो गई थी और meiosis prophase first में arrest रहती है जो ovum बनने के वक्त भी पूरी नहीं होती बल्कि meiosis division एक बार फिर arrest होती है (metaphase phase में) जो fertilisation (fusion of sperm and ovum) के समय पूरी होती है। 33/35 सालों तक meiosis division दो बार arrest होने की वजह से non disjunction (during gametes formation) हो जाता है यानि chromosomes 23/23 अलग अलग haploid cell में नहीं divide हो पाते।

इसी तरह chromosomal disorders होते हैं और ये Homologous chromosomes (1 to 22) में भी हो सकता है जैसे: (46+1=47) Edward's syndrome, down's syndrome and patau's syndrome etc. इस तरह के बच्चे भी sterile होते हैं और इनका morphological features भी नहीं विकसित हो पाता है और Allosomal disorders (sex chromosomes/gender dermining) में भी,

जैसे: klinefelter's syndrome (44+XXY=47)

Turner's syndrome (44+X0=45)

इस तरह के division से ही बच्चों में gonads (reproductive organs) विकसित नहीं हो पाते हैं। आम तौर पे इंसान में chromosomes की संख्या 46 होती है। और मान लें आपने ऐसे बच्चे को जन्म से पहले ही मार देंगे तो एक कत्ल का गुनाह होगा दूसरे ये मारेंगे तो ज़ाहिर abort करके जो बहुत ही danger है आपकी अपनी सेहत के लिए

क्योंकी 12-14 weeks के बाद ही amniocentesis test होता है और तब तक embryo mother womb से placenta के ज़रिए जुड़ चुका होता है।

20. ये तहरीर लिखने का हमारा मक़सद

हम जिस दीन पे ईमान रखते हैं क्या उस दीन को जानते भी हैं?

यकीनन नहीं जानते हैं तभी खुद के ही बनाए रस्म और रिवाज में उलझ कर असानियो को खुद दूर कर के ये सोचते हैं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है? जबकि दीने इस्लाम (way of life) ज़िंदगी के हर शोबे में हमें असानियां फराहम करता है। इस्लाम रस्मों रिवाजों और त्योहारों का दीन नहीं।

निकाह में भी अल्लाह ने आसानी रखी है लेकिन हमने रस्मों, रिवाजों और जहेज़ और बरात के ज़रिए एक अज़ीम अमल में मुश्किलात पैदा कर दी और **जिन बुराइयों से निकाह रोकता उसे आम कर दिया**। ला इल्मी की वजह से तलाक़ आम हो रहा है और इस बिना पे दुश्मने इस्लाम हमें रुसवा करने का कोई मौक़ा हाथ से नहीं जाने देता है।

इन बातों और पुरी तहरीर से हमारा मक़सद समझ आ गया होगा। तो अब से हम अज्म करते हैं, नबी करीम ﷺ की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं और जिना को खत्म करने की कोशिश करते हैं।

नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से रोके अगर इसकी ताक़त ना हो तो अपनी जुबान से रोके, फिर अगर इसकी भी ताक़त ना हो तो दिल में ही उसे बुरा जाने और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जे है।"
[सहीह मुस्लिम: 177]

अल्लाह रब्बुल अलामीन हमें सही समझने-समझाने, कहने सुनने और लिखने पढ़ने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे।